मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

जज अदालत ... उपखण्ड अधिकारी सिकराय .....

सरकार बनाम ... रघुवीर / सरकार .....

किस्म मुकदमा ... दावा ..... मु० नं० ... 32/22 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.2.22	दावा आधिपत्य / धर्मसिंह वगैरा / दायर पेश / अंकित कर तलबी की जावे / वास्ते इन्तजार तामील	
	14.2.22 को पेश हो /	
14.2.22	पत्रावली पेश / वकील वादी उपस्थित / जवाब state हेतु 23.2.22 को पेश हो /	
23.2.22	पत्रावली पेश / जवाब स्टेट प्राप्त / बहस दावा सुनी गयी / वादीगण ग्राम करोड़ी के खाता सं. 242 चारागाह व खाता सं. 1 आबादी की स्थिति आवंटन के समय, जिसे भू-प्रबंध प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है, को दुरुस्त करवाना चाहते हैं / वाद अनुसार 1990 में ख.नं. 70 की चारागाह भूमि को जिला कलक्टर महोदय द्वारा सिवायचक व आबादी भूमि के आदेश की पालना में नं. सं. 342 (चारागाह से सिवायचक) व 343 (सिवायचक से आबादी) स्वीकृत किये गये / उक्त दोनों नामान्तरणों की पृष्ठ पर नजरी नक्शे दर्शित किये गये जो मौका अनुसार दर्शित किये गये थे / वाद अनुसार Settlement द्वारा साबिक ख.नं. 71/1 (रकबा 1.07 बीघा) का नया ख.नं. 85/.34 है तथा साबिक ख.नं. 71/2 (4.08 बीघा) का नया ख.नं. 84/1.01 है कायम कर, मौका स्थिति को, नक्शा तरमीम में परिवर्तित कर दिया है / जवाब स्टेट द्वारा नजरी नक्शा (आवंटन के समय की मौका स्थिति) के स्थान पर भू-प्रबंध द्वारा गलत नक्शा तरमीम का तथ्य स्वीकार किया गया है / अतः ग्राम करोड़ी के ख.नं. 84/1.01 है व 85/.34 है के नक्शा ड्रेस की तरमीम भू-प्रबंध पूर्व ख.नं. 71/1 (1.07 बीघा) व ख.नं. 71/2 (4.08 बीघा) के सम्बन्ध में निर्धारित नं. सं. 342 व 343 की पृष्ठ पर अंकित नजरी नक्शा व मौका स्थिति (तत्कालीन) अनुसार करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं / मुताबिक आदेश डिक्री व तदबीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो /	

(राजेश सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
23.2.22